197

न्यायालय श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

रीवा कैम्प रीवा म. प्र.

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत दस रुपये TEN RUPEES विलोपित/विलोपित

R 5295 II/16

Rs. 30/-

दयलुआ चमार पति मटुकधारी चमार उम्र लगभग 84 वर्ष, पेशा– कृषि, निवासी ग्राम पथरहा, तह. व थाना मनगवां, जिला– रीवा म. प्र.

——— निगरानीकर्ता

बनाम

1– विधाता चमार तनय दद्दी चमार निवासी ग्राम पथरहा, सर्किल डेल्ही तह. व थाना मनगवां, जिला– रीवा म. प्र.

2– शासन म. प्र. ———अनावेदकगण

श्री.. सुनील पंत द्वारा आज दिनांक 02/07/16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

राजस्व निरीक्षक मण्डल डेल्ही, तह. मनगवां, द्वारा ग्राम पथरहा 357 प. ह. पथरहा, 39 की आराजी नं. 752/2 रकबा 0.012 आरे का गलत ढंग से नक्शा तरमीम किये जाने बावत निगरानी आवेदन

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता सन 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगरानीकर्ता आराजी नं. 752/4 की भूमिस्वामिनी है, तथा उसके साथ – साथ अन्य लोग भी सहखातेदार हैं, जिनका आपसी विभाजन हो चुका है तथा आपसी विभाजन अनुसार

(197)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R**–5295-**II**/16 जिला–रीवा

दयलुआ चमार/ विधाता चमार

(1)	(2)
19.12.18 –	1. आवेदक की ओर से श्री सुनील जैन अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल डेल्ही, तहसील मनगवां, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 22/अ–5/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य